भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3357

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना

3357. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री प्रणाम योजना से किसानों को क्या संभावित लाभ मिलने की उम्मीद है जिसका उद्देश्य झांसी, उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है; और
(ख) उक्त योजना स्थानीय कृषि परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसतन खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कटौती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी राशि के 50% के बराबर है। पीएम-प्रणाम के तहत, 14 राज्यों ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों की औसतन खपत की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15.14 एलएमटी की कटौती की है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 2023-24 के दौरान रसायनिक उर्वरकों की खपत में कोई कटौती नहीं की है।

*****